न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश चन्द्र जैन, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 28/2018

प्रार्थीगण

मृतक नारायण पुत्र कानाराम जाति कुमावत निवासी निम्बाज के का०मु०

1 स्व0 भंवरलाल पुत्र नारायणलाल के का०मु०

1.1 ढगलाराम पुत्र भंवरलाल

1.2 रमेशचन्द पुत्र भंवरलाल

2 भुलचन्द पुत्र नारायणलाल के विधिक वारिशान

2.1 नेमीचन्द पुत्र भुलचन्द

3 स्व0 मिश्रीलाल पुत्र नारायणलाल के का०मु०

3.1 धर्मीचन्द पुत्र मिश्रीलाल

3.2 संजय कुमार पुत्र मिश्रीलाल

3.3 प्रकाश चन्द पुत्र मिश्रीलाल

जातिगण कुमावत निवासीगण निम्बाज तहसील जैतारण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 ग्राम पंचायत निम्बाज जरिये सरपंच, तहसील जैतारण

2 मृतक हिरालाल पुत्र शिवबक्श के विधिक वारिशान

2.1 सोहनलाल पुत्र हीरालाल जाति गंगवाल निवासी सुशील भवन, निम्बाज तहसील जैतारण

3 अम्बालाल पुत्र लालचन्द स्वर्णकार के का०मु०

3.1 स्व0 विजयराज पुत्र अम्बालाल के विधिक वारिशान

3.1.1 शरदकुमार पुत्र विजयराज जाति सोनी निवासी पिपाड़

4 धर्मीचन्द पुत्र पुखराज जाति मुथा जैन निवासी निम्बाज

5 मांगीलाल पुत्र फुलचन्द ठोलिया जाति ठोलिया के विधिक वारिशान

5.1 नेमीचन्द पुत्र कन्हैयालाल ठोलिया, जैन मेड़िकल स्टोर, निम्बाज

6 मांगीलाल पुत्र केसरीमल जाति बाफना के का०मु०

6.1 रूपचन्द पुत्र मांगीलाल बाफना निवासी निम्बाज

7 मुल्तानमल पुत्र बस्तीराम जाति सैन के का०मु०

7.1 चांदमल पुत्र मुल्तानमल जाति सैन निवासी निम्बाज

8 लाभचन्द पुत्र जसराज जाति खीवसरा के विधिक वारिशान

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)
4/7/19

8.1 सुभाष पुत्र लालचन्द जाति खीवसरा जैन निवासी निम्बाज

9 गणपतसिंह पुत्र घीसूलाल जाति पुरोहित के विधिक वारिशान

9.1 नारायणसिंह पुत्र गणपतसिंह जाति पुरोहित निवासी निम्बाज

10 मुल्तानमल पुत्र अन्नाराम जाति राव के विधिक वारिशान

10.1 भुराराम पुत्र मुल्तानमल के विधिक वारिशान

10.1.1 कन्हैयालाल पुत्र भुराराम जाति राव निवासी निम्बाज

11 करणसिंह पुत्र नारायणसिंह के विधिक वारिशान

11.1 अमरसिंह पुत्र करणसिंह जाति राजपूत निवासी निम्बाज

12 मानसिंह पुत्र उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी छत्र सागर, निम्बाज

13 बंशीधर पुत्र भंवरलाल जाति पाठक के विधिक वारिशान

13.1 मुरलीधर दत्तक पुत्र बंशीधर जाति पाठक निवासी निम्बाज

14 रूगजी पुत्र नेनजी जाति मेघवाल के विधिक वारिशान

14.1 धाराराम पुत्र रूगजी जाति मेघवाल निवासी मेगवालों का बास, निम्बाज

15 घीसूराम पुत्र अपठनीय के विधिक वारिशान

15.1 भैराराम पुत्र घीसुराम के का0मु0

15.1.1 नीरज कुमावत पुत्र भैराराम निवासी घोडावड, तहसील जैतारण

16 करणसिंह पुत्र कानसिंह के विधिक वारिशान

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

16.1 अमरजीतसिंह पुत्र करणसिंह
16.2 इन्द्रजीतसिंह पुत्र करणसिंह
16.3 हरजीतसिंह पुत्र करणसिंह
जातिगण राजपूत निवासीगण
निम्बाज तहसील जैतारण

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री नवीन दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 4, 5, 7, 8, 11 व 15

–: निर्णय :–

दिनांकः– 4-2-19

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, निमाज द्वारा मिसल संख्या 07/1965 संकल्प संख्या 1 दिनांक 21.04.1968 तथा पट्टा संख्या 36 दिनांक 21.04.1968 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम निमाज के खसरा नम्बर 1677 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा की भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के नाम से खातेदारी दर्ज थी। भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मिसल संख्या 3511/55–56 दिनांक 26.06.1956 को उक्त भूमि में से 6 बीघा भूमि खसरा नम्बर 1282 गै0मु0 आबादी में जोड दिया गया, जिसका भू–प्रबन्ध को कोई अधिकार नहीं था। राजस्व अधिकारियों द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी के आदेश की पालना में अपीलाण्ट के पूर्वजों की खातेदारी भूमि में से 6 बीघा भूमि को कम तो कर दिया गया, किन्तु ग्राम पंचायत के खाते में जोडी नहीं गई। प्रार्थी द्वारा भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रतियां प्राप्त करने के प्रयास किए, किन्तु ऐसा कोई आदेश रेकर्ड में उपलब्ध ही नहीं था तथा न ही ऐसी कोई मिसल कायम की गई। भू–प्रबन्ध अधिकारियों को खातेदारी भूमि को कम करने का कोई अधिकार ही नहीं था। इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पंचायत की भूमि नहीं होने के बावजूद भी विधिक प्रावधानों का दुरूपयोग करते हुए 15 व्यक्तियों के नाम एक ही पट्टा जारी कर दिया, जिसका क्षैत्रफल 18265.5 वर्गगज है। पंचायत को इतने अधिक विस्तृत भूखण्ड का पट्टा शामलाती रूप से 15 अलग अलग व्यक्तियों को बिना किसी प्लान बनाए विधि विरूद्ध तरीके से एक ही पट्टा निःशुल्क जारी कर दिया, जो पंचायती राज नियमों के विपरित होने से खारिज़ योग्य हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर आज भी अप्रार्थीगण का कब्जा नहीं है एवं न ही

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

उनके द्वारा कोई निर्माण कार्य किया गया है, इसके अतिरिक्त उक्त भूमि किसी भी रूप में आबादी के रूप में प्रयोग में नहीं ली जा रही हैं। प्रार्थी को जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत से उक्त मिसल एवं सम्बन्धित दस्तावेजात् की प्रतियां प्रदान कराने का निवेदन किया, तो ग्राम पंचायत में भी उक्त मिसल एवं उससे सम्बन्धित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना जाहिर किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस प्रकार की कोई मिसल पंचायत में बनी ही नहीं। इससे यह स्पष्ट होता कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रावधानों से परे जाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है, क्योंकि उक्त भूमि पंचायत के खाते में दर्ज ही नहीं थी, इस कारण पंचायत को इस भूमि पर पट्टा जारी करने का अधिकार ही नहीं था। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी किए गए पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा मिसल कायम की जाकर प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातदारी भूमि में से 6 बीघा भूमि कम करते हुए पंचायत के खाते में दर्ज की, जो नियमानुसार सही हैं। उक्त भूमि आरम्भ से ही पंचायत के कब्जे में ही थी, इस पर प्रार्थीगण के पूर्वजों का कोई कब्जा काश्त नहीं था। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा 6 बीघा भूमि को पंचायत के खाते में दर्ज करने के आदेश पारित किए, जो पत्रावली के संलग्न खसरा बन्दोबस्त की नकल में लाल स्याही से अंकित नोट से स्पष्ट हैं। इसके पश्चात पंचायत द्वारा विधि में विहित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण काबिज है तथा पंचायत द्वारा पुराना कब्जा होने के कारण निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत हैं। ग्राम पंचायत में मिसल एवं दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने के बाबत अप्रार्थीगण को दोषी नहीं माना जा सकता हैं। प्रार्थी द्वारा पट्टा जारी होने के 50 वर्षो की अवधि गुजरने के पश्चात निगरानी प्रस्तुत की है, जो स्पष्टतया मियाद बाहर होने से भी खारिज़ योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में ग्राम पंचायत निमाज द्वारा अपने पत्रांक/19 दिनांक 31.08.2018 द्वारा जाहिर किया कि जैर निगरानी संकल्प से सम्बन्धित रजिस्टर एवं उसकी मिसल ग्राम पंचायत के रेकर्ड में उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के नाम जो पट्टा जारी किया गया, उसका अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा 15 व्यक्तियों के नाम निःशुल्क जारी किया गया हैं तथा पट्टे में वर्णित आराजी का क्षेत्रफल 18265.5 वर्गगज दर्शाया हैं। जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायत अधिनियम (सामान्य नियम) 1961 के नियम 266 के तहत जारी किया गया है, जिसमें निजी बातचीत द्वारा आबादी भूमि के हस्तान्तरण करने

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

के प्रावधान हैं। नियम 266 (क) के अनुसार जैर निगरानी आराजी पर ऐसा कोई भी सबूत अथवा दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अप्रार्थीगण का जैर निगरानी विवादित आराजी पर सत्यभाषक (Plausible) स्वत्व का दावा सिद्ध होता हो तथा न ही इनके कब्जे बाबत कोई दस्तावेजी सबूत है, जिस कारण से बातचीत के द्वारा अप्रार्थीगण को जैर निगरानी पट्टा जारी किया जाना सिद्ध हो। इस बाबत पंचायत की पत्रावली भी नहीं होना सिद्ध है, न ही किसी अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों को यह पट्टा जारी किया गया हैं, जो नियम 266 में कवर होता हो। उक्त नियमों के तहत आबादी भूमि पर कब्जा 20 वर्ष से 40 वर्ष होने पर बाजार कीमत का 1 तिहाई भाग तथा कब्जा 40 वर्ष से अधिक का होने पर बाजार कीमत का छठा भाग प्रभारित किए जाने के प्रावधान हैं, लेकिन पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया है। राजस्थान पंचायत नियम 1961 के नियम 266 (2) के तहत 200/– रूपये से कम की सम्पति का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किसी भी संस्था के पक्ष में निःशुल्क हस्तान्तरित किए जाने के प्रावधान हैं, लेकिन जैर निगरानी विवादित आराजी का क्षेत्रफल पट्टे में अंकित अनुसार 18265.5 वर्गगज के विशाल भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थीगण को व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए निःशुल्क जारी किया गया है, जो विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य हैं। अप्रार्थीगण का कब्जा आदिनांक भी जैर निगरानी विवादित आराजी पर नहीं है, तहसीलदार जैतारण की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग (खुले में शौच) हेतु उपयोग में आ रही थी, किन्तु बाद में विद्या भारती विद्यालय को भेंट कर दी गई। अप्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा अथवा निर्माण कार्य नहीं किया गया। तहसीलदार जैतारण द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें अंकित तथ्यों के अनुसार ग्राम निमाज के खसरा नम्बर 1677 रकबा 7 बीघा 13 बिस्वा किस्म चाही अव्वल की भूमि प्रथम सेटलमेन्ट के समय नारायण पुत्र कानाराम जाति कुम्हार के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 26.06.1956 को आदेश पारित करते हुए खसरा नम्बर 1677, जो कि नारायण की खातेदारी भूमि थी, में से 6 बीघा भूमि कम करते हुए खसरा नम्बर 1282 (गै0मु0 आबादी) में दर्ज करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में नारायण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1677 में से 6 बीघा भूमि कम तो कर दी गई, किन्तु पंचायत की आबादी भूमि खसरा नम्बर 1282 में जोडी नहीं गई, जिसके कारण जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 में खसरा नम्बर 1282 का रकबा आज भी पूर्ववत 141.14 बीघा ही दर्ज हैं। इस प्रकार उपरोक्त भूमि आबादी में समाहित नहीं होने के कारण पंचायत को इस भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का पट्टा जारी करने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी पंचायत द्वारा अप्रार्थीगण के हक में जो पट्टा जारी किया गया है, वह न्यायोचित नहीं होने से निरस्त योग्य हैं। चूंकि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि अनुरूप जारी किया जाना प्रतीत नहीं होता हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना जारी पट्टा ab initio void होने से मियाद के प्रावधान बाध्यकारी नहीं हैं। चूंकि ग्राम पंचायत आबादी भूमि के सम्बन्ध में ही कार्यवाही करने हेतु सक्षम है, जब भूमि पंचायत के

जिला कलेक्टर
बाली (राज.)

नाम दर्ज ही नहीं थी, तो उस भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय लेने हेतु ग्राम पंचायत को कोई अधिकारिता नहीं थी। इस सम्बन्ध में डी0एन0जे0 (राज.) 1999 पेज 672 में यह प्रतिपादित किया कि "पंचायत को वह भूमि बेचने का कोई हक नहीं है, जो उसकी थी ही नहीं।" उक्त सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर पूर्णतः चस्पा होता हैं। प्रकरण में निहित तथ्यों एवं दस्तावेजात् के अवलोकन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसे यथावत रखा जाना न्यायोचित नहीं हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, निमाज द्वारा मिसल संख्या 07/1965 संकल्प संख्या 1 दिनांक 21.04.1968 तथा पट्टा संख्या 36 दिनांक 21.04.1968 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 4-2-19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द्र जैन)
जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

4/2/19

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)